महत्वपूर्ण

संख्या-11/2018/940/60-3-2018-12(सा0)/18टीसी

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30 मई, 2018

विषयः-181-महिला हेल्पलाइन एवं रेस्क्यू वैन में तैनात महिला कार्मिकों को रात्रि में ड्यूटी कार्य हेतु आवास से लाने एवं आवास पर छोड़ने की अनुमति दिया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि 181-महिला हेल्पलाइन का संचालन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिसके साथ प्रत्येक जनपद में 01 रेस्क्यू वैन भी संचालित है। 181-महिला हेल्पलाइन के माध्यम से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को तत्काल राहत/सहायता पहुँचाई जाती है। 181-महिला हेल्पलाइन अन्य हेल्पलाइन यथा-100, 102, 108, 1090, 1098 से भी जुड़ी हुयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित 181 रेस्क्यू वैन में कार्यरत महिला कार्मिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत 181 रेस्क्यू वैन द्वारा उन्हें उनके आवास से सबसे नजदीकी मार्ग (शार्टेस्ट रूट) से रात्रिकालीन ड्यूटी पर ले आने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तथा ड्यूटी के उपरान्त उन्हें उनके आवास पर वापस छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-940 (1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।